स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 74, दिनांकः 08–03–2023</u>

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब/मादक पदार्थ की तस्करी करने एवं जनपद बांदा से 50000/– रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दिनांक 07–03–2023 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला तथा जनपद बांदा से रू0 50,000/– रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिंकू राठी को थाना बबेरू जनपद बांदा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

रिंकू राठी उर्फ रिंकू चौधरी पुत्र स्व0 श्री गजेन्द्र सिंह निवासी सैदपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 02 मोबाईल फोन।
2– आधार कार्ड।
3– 01 अदद पैन कार्ड।
4– रू0 1400/– नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

दिनाँक 07.03.2024 समय 19.55 बजे दुर्गा टाकीज गोलचक्कर से ग्राम मलकपुर की तरफ जाने वाले रास्ता थाना क्षेत्र सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक फील्ड यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण तथा श्री नवेन्दु कुमार पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा के नेतृत्व मे उप–निरीक्षक श्री अवध नारायण चैधरी व उप–निरीक्षक दीपक तोमर एस0टी0एफ0 नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दि0 07–03–2024 को एक सूचना प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला एवं थाना बबेरू जनपद बांदा उत्तर प्रदेश के मु0अ0सं0 355/2023 धारा धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी रिंकू राठी पुत्र स्व श्री गजेन्द्र सिंह उपरोक्त ग्रेटर नोएडा में किसी शादी समारोह मे आने वाला है। इस सूचना को थाना बबेरू जनपद बांदा से साझा किया गया और सूचना को विकसित करते हुए एसटीएफ नोएडा एवं थाना बबेरू जनपद बांदा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त रिंकू राठी उपरोक्त को दुर्गा टाकीज गोलचक्कर से ग्राम मलकपुर की तरफ जाने वाले रास्ता थाना क्षेत्र सूरजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू राठी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 1998 से मेरठ मे ट्रान्सपोर्ट एजेंसी पर लगभग 8 वर्ष ट्रक चलाया तथा वर्ष 2010 मे हरिद्वार के इन्डस्ट्रीयल एरिया मे राठी कार्गो ट्रान्सपोर्ट मूवर्स के नाम से ट्रान्सपोर्ट खोला तथा इसका साथी इंचौली मेरठ निवासी

अमित भी इसके ट्रान्सपोर्ट पर ड्राईवर का काम करता था। जिसके अवैध शराब व नशे तस्करों से सम्बन्ध थे। जिनके साथ मिलकर यह भी अपनी गाड़ियों/ट्रकों मे अन्य सामान के साथ साथ शराब व अवैध नशीली दवाईयों को छिपाकर तस्करी करने लगा जिनके बदले मे इसे अच्छे पैसे मिलने लगे। वर्ष 2018 मे इसका साथी अमित जब ट्रक लेकर गाडी मे गद्दे भरकर कलकत्ता जा रहा था तो रास्ते मे अमित ने बरेली से अवैध नशीली कफ सिरप की बडी खेप ट्रक मे छिपाकर लाद ली जिसे दिल्ली पुलिस ने पकड लिया था। अमित के साथ–साथ रिंकू राठी भी जेल गया था व 04 माह तक जेल मे रहा। जेल से छुटने के बाद इसने मोदीनगर गाजियाबाद मे राठी ट्रान्सपोर्ट के नाम से ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी खोल ली तथा हरियाणा के शराब तस्करों के साथ मिलकर हरियाणा व चण्डीगढ मे बनी अवैध शराब को गुजरात, बिहार, राजस्थान व उत्तर प्रदेश मे भारी मुनाफे के साथ तस्करी करने लगा । वर्ष 2021 मे अवैध शराब की तस्करी करते समय थाना सदर जनपद चित्तोडगढ राजस्थान पुलिस के द्वारा पकडा गया जिसमे अमित व रिंकू राठी पकडे गये व करीब 15 दिन तक जेल मे रहा। वर्ष 2022 मे रोहतक से अवैध शराब लादकर पटना बिहार मे तस्करी के लिये गाडी लेकर जा रहे थे जिसे बिहार पुलिस ने पकडा था तथा थाना दुर्गावती जिला भबुआ बिहार मे अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार जब यह वर्ष 2023 मे हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी के लिये जा रहा था तो थाना चिरगांव जनपद झांसी मे पुलिस ने पकड लिया व थाना चिरगांव मे मु0अ0सं0 210/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 60(1),63 व 72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी प्रकार अवैध शराब की तस्करी करते समय थाना बासा जनपद आनन्द गुजरात मे भी पकडा गया जिसमे गुजरात पुलिस द्वारा अवैध शराब पकडकर मु0अ0सं0 11215038230520/2023 धारा 65ए, 65ई, 81,83,108,98(2), 116बी, आबकारी अधिनियम 465,467,471,120बी भादवि पंजीकृत किया गया था जिसमे यह वर्तमान मे वांछित है। वर्ष 2023 मे ही इसकी जान पहचान रोहतक हरियाणा निवासी मनीष से हुई जो आन्ध्र प्रदेश व ओडिशा बार्डर से गांजा तस्करी का काम करता था, उसके साथ मिलकर अवैध गांजे की तस्करी जो दिल्ली एनसीआर व हरियाणा क्षेत्र मे करने लगा। वर्ष 2023 इसके साथियों को थाना बबेरु जनपद बांदा पुलिस के द्वारा अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 355/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसमे यह वांछित चल रहा था ।

अभियुक्त रिन्कू राठी का अपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 165/18 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली।
2– मु0अ0सं0 504/20 धारा 323, 506 भादवि थाना–भोजपुर, गाजियाबाद।
3– मु0अ0सं0 82/21 धारा 69/4 राजस्थान आबकारी अधि0 थाना चित्तौड़गढ़ सदर राजस्थान।
4– मु0अ0सं0 118/22 धारा 30ए बिहार प्रोविजन एण्ड एक्साइज एक्ट, दुर्गावती भभुआ, (बिहार)
5– मु0अ0सं0 210/23 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 420, 468, 471 भादवि चिरगॉव, झॉसी।
6– मु0अ0सं0 355/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना–बबेरू, बॉदा।
7– मु0अ0सं0 11215038230520/23 धारा 65ए, 65ई, 81, 83, 108, 116बी, 465, 467, 471, 120बी भादवि बासा आनन्द गुजरात।

गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू राठी उपरोक्त को थाना बबेरू, जनपद बांदा के मु0अ0सं0 355/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना बबेरू जनपद बांदा पुलिस द्वारा की जायेगी ।